

सं. 20/01/2001-हिंदी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

दिनांकः 22.07.2025

कार्यालय आदेश

विषयः परिषद मुख्यालय और इसके सभी केंद्रों/संस्थानों में राजभाषा नीति से संबंधित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने संबंध में।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा हाल ही में परिषद और मंत्रालय के कई अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया है कि परिषद के अधीन संस्थानों में राजभाषा हिंदी से संबंधित आदेशों/अनुदेशों का भी पूर्ण अनुपालन नहीं हो रहा है। संसदीय राजभाषा समिति ने इस बात को गंभीरता से लिया है। सभी संस्थान प्रमुखों को निदेश दिया जाता है कि वे निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अपने-अपने संस्थान में अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत बताए गए 14 प्रकार के दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से एक साथ जारी किए जाएं।
- कार्यालय में प्रयोग में लाए जा रहे लोगो, नामपट्ट, स्चना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों और लेखन सामग्री आदि के शीर्षकों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाए।
- 3. संस्थान के प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार जारी किए जाने वाले कार्यालय आदेश को व्यक्तिश: आदेश के रूप में जारी किया जाए अर्थात् उसका शीर्षक कार्यालय आदेश के स्थान पर व्यक्तिश: आदेश होना चाहिए।
- 4. सभी कार्यालय प्रमुख / निदेशक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की **बैठक में स्वयं अनिवार्य रूप** से भाग ले।
- रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में लिखें जाए और प्रविष्टियां भी हिन्दी में की जाए।

- 6. <u>हिन्दी में प्राप्त या हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी</u> में ही दिए जाएं। "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालय या राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी व्यक्तियों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिए जाएं।
- 7. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधिकाधिक हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाएं।
- 8. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट के सही आंकड़ों सहित प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 10 दिन के भीतर परिषद मुख्यालय को भिजवायें।
- 9. कार्यालय प्रमुख अर्थात निदेशक/प्रभारी निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए। सभी संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठके नियमित अंतराल (अप्रैल माह, जुलाई माह, अक्टूबर माह, जनवरी माह) में आयोजित करें और इसके साथ ही संस्थान की सभी बैठको की कार्यसूची-कार्यवृत हिंदी/द्विभाषी में ही जारी करे।
- 10. सिचिव स्तर एवं उच्च स्तर के अधिकारी कंप्यूटर पर हिंदी में अधिकाधिक टंकण द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करें और अपने अधीनस्थों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करें, तािक अधीनस्थों द्वारा भी कंप्युटर पर अधिकाधिक हिंदी टंकण किया जाए।
- 11. राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा विभाग द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजना लागू की जाए।
- 12. कार्मिकों की मनोवृत्ति बदलने और हिंदी में काम करने में उनकी झिझक दूर करने के लिए समय-समय पर <u>हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन</u> किया जाए और भाग लेने वाले कर्मियों को सहायक साहित्य उपलब्ध करवाए जाएं।
- 13. संघ की राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन और हिंदी कार्य के निष्पादन हेतु जिन कार्यालयों में स्थाई हिंदी पद नहीं है वे अपने स्तर पर संविदा आधार पर अस्थाई अनुवादकों की भर्ती करें अथवा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त किसी एक अधिकारी/कर्मचारी को केंद्रीय हिंदी अनुवाद ब्यूरों से प्रशिक्षण दिलवाया जाए और उसे राजभाषा से संबंधित कार्य सौंपा जाए।
- 14. प्रत्येक कार्यालय की वेबसाइट अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करवाई जाए और वेबसाइट पर जो भी सामग्री अपलोड की जाती है उसे द्विभाषी रूप में अपलोड किया जाए। यह अनिवार्य है।

- 15. हर वर्ष सितम्बर माह के दौरान <u>हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएं</u>। पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाए।
- 16. पदों की भर्ती संबंधी विज्ञापन, विवरण-पत्र और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र (call letter) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। यह स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार परीक्षा एवं साक्षात्कार में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है साक्षात्कार लेने वाले चयन-बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यों को हिन्दी का भी जान हो।
- 17. संस्थानों/केंद्रों में कार्यरत अवर/प्रवर श्रेणी लिपिकों एवं सहायकों को अनिवार्य रूप से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिलवाया जाएं।
- 18. संस्थानों/केंद्रों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यसाधक है उन्हें हिंदी में प्रवीण बनाने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाएं।

अतः परिषद के सभी संस्थानों को निदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लें और अपने-अपने संस्थान के अधिकारियों को अपना दैनिक सरकारी काम-काज अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाएं ताकि संसदीय राजभाषा समिति के साथ होने वाली निरीक्षण बैठकों में समिति के समक्ष परिषद की छवि धूमिल न हो।

(मनीषा सक्सेना)

वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

निदेशक/निदेशक प्रभारी, परिषद के सभी स्थाई केंद्र/संस्थान

प्रतिलिपि:

- 1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि. वित्त सलाहकार कार्यालय
- 2. परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग-प्रमुखः- अपने अधिनस्थ केंद्रों संस्थानों में उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चिक करवाए एवं सभी संस्थानों/केंद्रों के साथ अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में किया जाए।



भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research

Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

> No. 20/01/2001-Hindi Date: 22.07.2025

OFFICE ORDER

Subject: Regarding ensuring compliance of orders related to Official Language Policy in the Council Headquarters and all its centers/institutions.

The Council and several subordinate offices of the Ministry have recently been inspected by the Third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language. During the inspection the Committee found that the orders/instructions related to Official Language Hindi are not being fully complied with in the institutions under the Council. The Parliamentary Official Language Committee has taken this matter seriously. All the heads of institutions are directed to ensure strict compliance of the following points in their respective institutions.

- 1. <u>14 types of documents</u> specified under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 are to <u>be</u> mandatorily issued simultaneously in both Hindi and English languages.
- 2. The <u>logo</u>, <u>nameplate</u>, <u>notice board</u>, <u>letter heads and titles of envelopes and stationery etc</u>. used in the office should be written in <u>both Hindi and English</u> languages.
- 3. The Office Order issued twice a year to the qualified employees of the Institute should be issued as **Individual Order i.e. its title should be Individual Order instead of Office Order**.
- 4. All the Office Heads/Directors must <u>personally attend the meeting of the City Official Language</u> Implementation Committee.
- 5. The forms and headings of the <u>registers and service books should be written in Hindi and English</u> and the entries should also be made in Hindi.
- 6. <u>Letters received or signed in Hindi must be replied to in Hindi only.</u> Letters received in English from the Central Office or State Governments and non-governmental persons situated in "A" and "B" regions must also be replied to in Hindi only.
- 7. In order to achieve the sectoral targets set in the annual programme issued by the Official Language Department, correspondence in Hindi should be increased as much as possible.
- 8. For review of use of Official Language Hindi, send the quarterly progress report along with correct data to the Council Headquarters within 10 days of the end of each quarter.
- 9. An Official Language Implementation Committee should be constituted under the chairmanship of the head of the office i.e. Director/Director-in-charge. All the institutes should organize the meetings of Official Language Implementation Committee at regular intervals (in the months of April, July, October and January) and along with this, issue the <u>agenda and minutes</u> of all the meetings of the institute in <u>Hindi/bilingual language</u> only.

- 10. <u>Secretary level and higher level officers should cooperate in achieving the target by typing more and more in Hindi on the computer</u> and set an example for their subordinates, so that the subordinates also type more and more Hindi on the computer.
- 11. For the promotion and propagation of official language Hindi, the <u>incentive scheme run by the Official Language Department</u> should be implemented.
- 12. To change the attitude of the employees and to remove their hesitation in working in Hindi, <u>Hindi</u> workshops should be organized from time to time and supporting literature should be available to the participating employees.
- 13. For proper compliance of the Official Language Policy of the Union and execution of Hindi work, those offices which do not have permanent Hindi posts should recruit temporary translators on contractual basis at their own level or any one officer/employee proficient in Hindi should be given training by Central Hindi Translation Bureau and should be assigned work related to Official Language.
- 14. The <u>website of every office must be prepared in both Hindi and English languages</u> and whatever material is uploaded on the website must be uploaded in bilingual form. This is mandatory.
- 15. Hindi Diwas and Hindi Pakhwada should be celebrated every year during the month of September. Competitions should be organized during the fortnight and cash prizes should be given to the successful contestants.
- 16. The <u>recruitment advertisements</u>, <u>prospectus and call letters for interview should be issued in both Hindi and English languages</u>. It should be clarified that the candidate can use Hindi or English as per his wish in the examination and interview. The selection board conducting the interview should be constituted in such a way that its members should also have knowledge of Hindi.
- 17. <u>Junior/senior grade clerks and assistants</u> working in institutions/centres should be compulsorily given <u>training in Hindi typing from Central Hindi Training Institute</u>.
- 18. All the officers/employees working in the institutes/centres should have working knowledge of Hindi and those officers/employees who are working should be given training to make them proficient in Hindi.

Therefore, all the institutions of the Council are directed to take personal interest in this matter and encourage the officers of their respective institutions to do their daily official work in Hindi as much as possible and make all efforts to achieve the set targets so that the image of the Council is not tarnished before the Parliamentary Official Language Committee during the inspection meetings.

(Manisha Saxena)

Sr. Deputy Director General (Admn.)

To.

The Director/Director-in-Charge,
All permanent centres/institutes of the Council

Copy to:

- 1. Director General/Additional Director General/Sr. Financial Advisor Office
- 2. All Division Heads of Council Headquarters:- Ensure compliance of the above instructions in their subordinate centers/institutions and maximum correspondence with all institutions/centers should be done in Hindi.